**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला-ब्यावर) राज.**

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 5/2023

GCMS NO. : 2023/6

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादी :-

1. बाबुलाल राव पुत्र अनोपराम उर्फ अनाराम जाति ढोली, निवासी बलाड़ा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर हाल बी-28ए, जगदम्बा नगर हीरापुरा अजमेर रोड़, जयपुर राजस्थान।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू:.13/01/2023

उपस्थितः-

1. श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- दिनाँक:- 31/01/2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी एवं उसके भाईयों की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा हिंगाणीया, पटवार हल्का बलाड़ा, तहसील जैतारण जिला-ब्यावर में स्थित खसरा नम्बर 7 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा यानि 1.7159 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 07 की भूमि के वक्त सेटलमेन्ट के समय काबिज खातेदार काश्तकार वादी के पिता अनीया उर्फ अनोपराम पुत्र लिछमणजी जाति ढोली निवासी बलाड़ा वाले रहे है। जिसकी दस्तावेजी सबूत के रूप में खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 की इस वादपत्र के साथ पेश है। तत्पश्चात मुझ वादी के पिता अनीया उर्फ अनोपराम जी के फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन से वादी एवं उनके भाई जोगाराम, छीतरराम एवं नारायणराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में चौसाला जमाबन्दी संवत् 2021-2034, 2044-2047 की इस वादपत्र के साथ पेश है। वादी का सही नाम बाबुलाल राव ही है। जिसकी दस्तावेजी सबूत के रूप में वादी का आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राजस्थान विधान सभा जयपुर में सेवारत रहने का पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत बलाड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस वादपत्र के साथ पेश है। जिससे यह स्पष्टतया साबित है कि वादी का सही नाम बाबुलाल राव पुत्र अनोपराम राव ही है एवं वादी की पहचान से सम्बन्धित सभी दस्तावेजात इसी नाम से बने हुये है। लेकिन वादी को बचपन में मुकनाराम के नाम से भी गांव बलाड़ा में पुकारते थे। इस वजह से वादी के पिताजी अनीया उर्फ अनोपराम जी के फौत होने पर तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा फौतेदगी म्यूटेशन में वादी का

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

बोलता नाम मुकना पुत्र अनीया दर्ज कर दिया जबकि उस समय भी वादी का सही नाम बाबुलाल राव पुत्र अनोपराम ही था। इस प्रकार से वादी के पिताजी के फौतेदगी म्यूटेशन में वादी का बोलता नाम मुकनाराम दर्ज किया गया जो उस समय से लगायत आज दिन तक इसी माफिक चलता आ रहा है। वर्तमान में वादी को अपनी इस खातेदारी भूमि पर किसान साखपत्र बनाने की आवश्यकता होने से वादी हल्का पटवारी के पास गया एवं अपना राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया तो वादी को ज्ञात हुआ कि वादी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का सही नाम बाबुलाल राव की बजाय मुकनाराम दर्ज है। इस प्रकार से वादी का बोलता नाम मुकनाराम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से एवं वादी की पहचान से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजात में बाबुलाल राव दर्ज होने से वादी अपना किसान कार्ड नहीं बनावा पा रहा है। साथ ही वादी को अन्य परेशानीयां भी हो रही है। जिस पर वादी ने अपने नाम की दुरूस्ती करने हेतु हल्का पटवारी बलाड़ा व तहसीलदार जैतारण से भी निवेदन किया जिस पर पिछले लगभग 01 वर्ष से हल्का पटवारी द्वारा टालमटोल की जाती रही है। एवं अब वादी द्वारा पुनः जाकर मालूमात करने पर तहसीलदार जैतारण द्वारा वादी को अवगत करवाया गया कि इस बाबत न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने पड़ेगी। इस प्रकार से वादी की इस विवादित खसरा नम्बर 07 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का सही नाम बाबुलाल राव पुत्र अनोपराम जाति ढोली के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम मुकनाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर वादी दर्ज करवाने व ऐसी घोषणा करवाने एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के सादर प्रस्तुत है। वादी ने अपने नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु प्रतिवादी व हल्का पटवारी से पूर्व में भी निवेदन किया था। तब उन्होने दिनांक 21.09.2022 को ऐसी दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया है। जिस पर यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है इसलिए वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनाक 21.09.2022 को प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम से दुरूस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम हिंगाणीया, पटवार हल्का बलाड़ा, तहसील जैतारण, जिला–ब्यावर में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि महंगाई राहत केम्प, बलाड़ा मजमा–ए–आम दिनांक 01.06.2023 में जाँच अनुसार वादी का नाम मुकनाराम पुत्र अनाराम तथा बाबुलाल पुत्र अनोपराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होना पाया गया। मजमा–ए–आम में पूछताछ करने पर उपस्थितो ने बताया कि बाबुलाल राव पुत्र अनोपराम जाति ढोली एवं मुकनाराम पुत्र अनाराम जाति ढोली दोनों नाम के एक ही व्यक्ति बाबुलाल पुत्र अनोपराम ही है। ग्राम बलाड़ा में मुकनाराम पुत्र अनाराम जाति ढोली नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। बाबुलाल पुत्र अनोपराम का नाम ही राजस्व रेकर्ड में मुकनाराम पुत्र अनाराम दर्ज है। उपस्थितो ने बताया कि ग्राम बलाडा के राजस्व रेकर्ड खसरा नम्बर 7 में मुकनाराम पुत्र अनाराम की जगह बाबुलाल पुत्र

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

अनोपराम शुद्ध दर्ज करना उचित है। अतः वादी का अनुतोष स्वीकार करना माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। जवाब देहन्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। विद्वान वकील वादी एवं तहसीलदार, जैतारण की बहस पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम हिंगाणिया की जमाबन्दी संवत् 2011-2030 (प्रदर्श-1) के खसरा नम्बर 7 में 'अनीया पुत्र लिछमन' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। तत्पशचात जमाबंदी संवत् 2021-2024 (प्रदर्श-2), संवत् 2044-2047 (प्रदर्श-3) में खसरा नम्बर 7 के लिए छोगा, छितर, नारायण, मुकना पि0 अनीया कौम ढोली का इन्द्राज दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2048-2051 (प्रदर्श-4), संवत् 2052-2055 (प्रदर्श-5), संवत् 2056-2059 (प्रदर्श-6), संवत् 2060-2063 (प्रदर्श-7), संवत् 2064-2067 (प्रदर्श-8), संवत् 2068-2071 (प्रदर्श-9) एवं संवत् 2072-2075 (प्रदर्श-10) के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 7 रकबा 10-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल में अन्य सह-खातेदारों के साथ मुकना पुत्र अनीया के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076-2079 (प्रदर्श-11) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अन्य सह-खातेदारों के साथ मुकनाराम पुत्र अनाराम 1/4 जाति ढोली की प्रविष्टि दर्ज है।
2. वादी बाबुलाल राव पुत्र अनोपराम उर्फ अनाराम ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 01 में सशपथ कथन किया कि ''वादग्रस्त आराजी मुझ वादी के पिता अनीया उर्फ अनोपराम जी के फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन से वादी एवं उनके भाई जोगाराम, छीतरराम एवं नारायणराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। वादी का सही नाम बाबुलाल राव ही है। जिसकी दस्तावेजी सबूत के रूप में वादी का आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राजस्थान विधान सभा जयपुर में सेवारत रहने का पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत बलाड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस वादपत्र के साथ पेश है।''
3. प्रदर्श दस्तावेजों प्रदर्श-12ए (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र), प्रदर्श-13ए (आधार कार्ड), प्रदर्श-14ए (आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड), प्रदर्श-15ए (राजस्थान विधानसभा द्वारा जारी विभाग का पहचान-पत्र), प्रदर्श-16ए (मूल निवास प्रमाण-पत्र) एवं प्रदर्श-17ए (जाति प्रमाण-पत्र) की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी का सही व दस्तावेजी नाम बाबू लाल राव पुत्र अनूप राम है।
4. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा अपने जवाब दावा में कथन किया गया कि मजमा-ए-आम दिनांक 01.06.2023 में जाँच अनुसार वादी का नाम मुकनाराम पुत्र अनाराम तथा बाबुलाल पुत्र अनोपराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होना पाया गया। मजमा-ए-आम में पूछताछ करने पर उपस्थितो ने बताया कि बाबुलाल राव पुत्र अनोपराम जाति ढोली एवं मुकनाराम पुत्र अनाराम जाति ढोली दोनों नाम के एक ही व्यक्ति बाबुलाल पुत्र अनोपराम ही है। ग्राम बलाड़ा में मुकनाराम

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

पुत्र अनाराम जाति ढोली नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः वादी का अनुतोष स्वीकार करना माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। जवाब देहन्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण जवाब दावा मय मौका फर्द, वादी के शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 7 रकबा 1.7159 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल ग्राम हिंगाणिया के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि **मुकनाराम पुत्र अनाराम** के स्थान पर वादी का सही व दस्तावेजी नाम **बाबू लाल राव पुत्र अनूप राम** दर्ज किया जाना उचित समझते है। **अतः** वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ प्रविष्टि **'मुकनाराम पुत्र अनाराम'** दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर **'बाबू लाल राव पुत्र अनूप राम'** दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: *आदेश* ::–

**अतः** उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें** से **स्वीकार किया जाता है।** वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा हिंगाणिया, पटवार हल्का बलाडा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 7 **रकबा** 1.7159 **हैक्टेयर किस्म** बारानी अव्वल के **भू–अभिलेख** में जहाँ–जहाँ **'मुकनाराम पुत्र अनाराम'** अंकित है उसे **विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि 'बाबू लाल राव पुत्र अनूप राम'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज **दिनाँक 31/01/2024 को** सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत** :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण

**बईजलास** :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादी :-

1. बाबुलाल राव पुत्र अनोपराम उर्फ अनाराम जाति ढोली, निवासी बलाड़ा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर हाल बी-28ए, जगदम्बा नगर हीरापुरा अजमेर रोड़, जयपुर राजस्थान।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0- 05/2023

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .........-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा हिंगाणिया, पटवार हल्का बलाडा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 7 रकबा 1.7159 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ **'मुकनाराम पुत्र अनाराम'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि **'बाबू लाल राव पुत्र अनूप राम'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/01/2024 को जारी किया गया।

**मोहर**

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

| मुद्धई | रूपये - पैसे | मुद्धायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 3.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 | स्टाम्प अर्जी | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0.00 | महनताना वकील | 0.00 |
| महनताना वकील | 0.00 | खर्चा गवाहान | 0.00 |
| खर्चा गवाहान | 2.00 | फीस कमीश्नर | 0.00 |
| फीस कमीश्नर | 0.00 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | मुत्फरिक | 0.00 |
| मिजानः- | 6.00 | मिजानः- | 0.00 |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा वह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।